

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण
कार्यक्रम
मध्य प्रदेश

मच्छरदानी वितरण हेतु
दिशा-निर्देश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल
मध्य प्रदेश

मन्त्रालयपरु उबेन्नइचस / तमकपीडिपसणवउए
उबेन्नइवचस / तमकपीडिपसणवउए



परिचय

मलेरिया व अन्य वेक्टर जनित रोग मच्छर के काटने से फैलते हैं। गर्भवती महिलायें व छोटे बच्चे अधिक रिस्क पर होने से उनकी मलेरिया से मृत्यु हो सकती है। मच्छरदानी लगाकर सोने से मच्छर के काटने से मनुष्य व मच्छर के संपर्क को कम किया जा सकता है।

साधारण मच्छरदानी मनुष्य व मच्छर के मध्य सीमित संरक्षण प्रदान करती है व साधारण मच्छरदानी यदि ठीक प्रकार से न लगायी गई हो, तो मच्छर अन्दर घुसकर काटने की संभावना बनी रहती है।

आई.टी.एन. (प्लेमबजपबपकम ज्तमंजमक छमज) सादा मच्छरदानी जो कि बाजार में उपलब्ध होती है, जिसको कीटनाशक दवा सिन्थेटिक फ्लो में डुबाकर प्रयोग में लायी जाती है। इसे आई.टी.एन. कहते हैं। इसकी दवा का प्रभाव धुलाई करने से समाप्त हो जाता है।

एल.एल.आई.एन. (स्वदह सेंजपदह प्उचतमहदंजमक छमज) यह मच्छरदानी के निर्माण के समय ही इसमें कीटनाशी दवा सिन्थेटिक पायराथ्राईड से संसिक्त कर दी जाती है, इसके धागे में कीटनाशी दवा इस प्रकार लगायी जाती है, कि 20 से 25 बार धोने पर भी दवा का असर पूरी तरह समाप्त नहीं होता है।

दोनों प्रकार की मच्छरदानियाँ मच्छर को काटने से रोकती हैं एवं मच्छर को दूर रखकर बीमारी से बचाती हैं। मच्छरदानी के संपर्क में आने पर मच्छर मर जाता है। यह मच्छरदानी जनसामान्य व यह छोटे बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होती है।

आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन. के नियमित उपयोग द्वारा वाहक जनित बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा एल.एल.आई.एन.

मच्छरदानी को प्रदाय कर जनसमुदाय में इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आशा की सक्रियता मच्छरदानी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है।

अतः मच्छरदानी वितरण हेतु आशा को बार-बार इस विषय में जानकारी देना आवश्यक है।

आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन. के वितरण हेतु दिशा-निर्देश

लंबे समय तक चलने वाले एल.एल.आई.एन. का उपयोग मलेरिया की रोकथाम एवं वेक्टर नियंत्रण के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इसे वितरण करने हेतु योजना दी जा रही है :-

1. एल.एल.आई.एन. का वितरण सम्पूर्ण जनसंख्या के हाई रिस्क प्रभावित क्षेत्रों/ग्रामों में किया जाना है।
2. सम्पूर्ण जनसंख्या का हाई रिस्क प्रभावित क्षेत्रों/ग्रामों की गर्भवती महिलाओं और आदिवासी आवासीय शालाओं को सम्मिलित किया जावेगा।
3. राज्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के सलाहकार क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करेंगे, जिसमें स्थानीय जिलों के रिसोर्स व्यक्ति भाग लेंगे एवं मिलकर एक व्यापक योजना तैयार करेंगे।
4. इसके पश्चात् जिला कार्ययोजना को राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जावेगा।

अ. सम्पूर्ण जनसंख्या का संरक्षण

क्षेत्र के लिए आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन. वितरण के लिए चयन

- यह जिलों को एल.एल.आई.एन. की संख्या पर निर्भर करेगा, जिसमें क्रमशः अति प्रभावित वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र हो सकते हैं।
- समीप का जिला जो कि हाई रिस्क चयनित हो, भी शामिल किया जा सकता है।
- एल.एल.आई.एन. संरक्षित या चयनित क्षेत्रों में इनडोर रेसिडुअल स्प्रे शामिल नहीं किया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में मलेरिया का संचरण पाया जाता है, या मलेरिया से मृत्यू परिलक्षित होती है, तो फोकल इनडोर स्प्रे किया जा

सकता है। यह कि नदमगचमबजमकसल परीक्षण धनात्मक दर/स्लाइड को कुल आर.डी.टी. एक ही समय के दौरान दुगना हो जाता है।

ब. समीपस्थ क्षेत्र चुनने के लिए माप दण्ड

○ उच्च ए.पी.आई. वाले अधिमानतः वाले क्षेत्र जिसमें ए.पी.आई. 5 से अधिक है:—

- ऐसे क्षेत्र जहां आई.आर.एस. की गतिविधि करना कठिन है।
- आई.आर.एस. की दर कम है (तीन वर्षों में 50 प्रतिशत से कम)
- आई.टी.एन. अंतर्गत संरक्षित जनसंख्या (पिछले 3 वर्षों में 60 प्रतिशत से कम)

○ 5 ए.पी.आई. से कम उप केन्द्र

- 2 से 5 ए.पी.आई. से कम वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र भी एल.एल.आई.एन. हेतु चयनित किये जा सकते हैं।
- मलेरिया महामारी वाले उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें सर्वलेंस अपर्याप्त हो या स्वास्थ्य सेवाओं हेतु स्टाफ न हो या अन्य कारण हो।
- 2 ए.पी.आई. से कम वाले उप केन्द्र किन्तु जिनमें पिछले तीन वर्षों में मलेरिया से मृत्यू हुई हो।

1. क्षेत्र के चयन के बाद आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन. की ग्रामवार गणना इस प्रकार की जावे:—

1—2 व्यक्तियों के परिवार के लिए 1 आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन.,

3—5 व्यक्तियों के परिवार के लिए 2 आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन.,

6—7 व्यक्तियों के परिवार के लिए 3 आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन.,

8—10 व्यक्तियों के परिवार के लिए 4 आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन.

गर्भवती महिला के संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर महत्व देते हुए एक अतिरिक्त एल.एल.आई.एन. प्रदाय की जा सकती है, जो कि उपरोक्त गणना के अतिरिक्त है।

1-7-2.1 कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी क्या है?

यदि एक साधारण मच्छरदानी को कीटनाशी से उपचारित करते हैं, तो यह कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी हो जाती है, इसे आई.टी.एन. (Insecticide Treated Net) कहते हैं।

क) कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी बेहतर कैसे होती है ?

- साधारण मच्छरदानी यदि सही तरीके से लगाया हुआ हो और इसमें मच्छरों के घुसने योग्य छिद्र न हो तो यह सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
- सोने के समय शरीर को कोई अंग मच्छरदानी के सम्पर्क में आ सकता है, ऐसी स्थिति में मच्छर बाहर से काट सकता है।
- यदि मच्छरदानी को कीटनाशकयुक्त करेंगे तो सुरक्षा बढ़ जाती है, क्योंकि मच्छर कीटनाशक मच्छरदानी पर नहीं बैठ सता है और दूर भागता है।

ख) मच्छरदानी को कीटनाशकयुक्त कैसे करते हैं?

मच्छरदानी को कीटनाशकयुक्त करना बहुत आसान है।

ग) मच्छरदानी को कीटनाशकयुक्त करने के लिए पहले निम्न सामग्रियों को एकत्रित करें—

- दस्ताना
- पानी नापने के लिए मग
- प्लास्टिक टब या बेसिन
- प्लास्टिक शीट (मच्छरदानी को सूखाने के लिए)
- कीटनाशक (डेल्टामेथरीन या कोई अन्य प्रमाणित सिन्थेटिक पाईराथ्रायड)
- साबुन (उपयोग के बाद हाथ धोने के लिए)

घ) मच्छरदानी का कीटनाशक से उपचार करना:

निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें :

मच्छरदानी को कीटनाशकयुक्त करने के तीन आसान तरीके —

- कीटनाशी का पानी में घोल करना।
- मच्छरदानी को घोल में डुबाना।

- उपचारित मच्छरदानी को सुखाना।

(घ-1) कीटनाशी घोल को तैयार करना:-

- पानी की मात्रा :- पानी इतना लें, जिसमें मच्छरदानी पुरी तरह सोख ले। पानी का तापमान सामान्य हो। एक पोलिस्टर मच्छरदानी के लिए लगभग 1/2 लीटर पानी की जरूरत होती है, जो कि दो भरे हुये ग्लास के समान होगी। (ग्लास लगभग 200 मि.ली.का होगा) इसी प्रकार एक नायलॉन मच्छरदानी को दवायुक्त करने के लिए 1/2 ली. या दो ग्लास। दो मच्छरदानी को दवायुक्त करने के लिए दोगुना पानी लेना चाहिए।
- कीटनाशक की मात्रा :- एक मच्छरदानी के लिए 10 मि.लि. कीटनाशक काफी है।

(घ-2) घोल तैयार करना और उसमें मच्छरदानी को डुबाना

- पानी की आवश्यक मात्रा गहरे प्लास्टिक के बाल्टी, प्लास्टिक टब या बेसीन में लें।
- कीटनाशक को बोतल से नापें और बाल्टी में डालें। एक समान घोल बनाने के लिए पानी को हिलाएं।
- मच्छरदानी के जाली वाले भाग को पहले डुबाएं उसके बाद उसके निचले भाग को डालें।
- सही उपचार के लिए मच्छरदानी को अच्छी तरह लपेटें, ताकि वह समान रूप से भीग जाये।
- मच्छरदानी को निकालें, प्लास्टिक शीट पर रखें एवं छांव में सुखाएं।

(च) दवायुक्त मच्छरदानी को कैसे सुखाएं ?

- उपचार के बाद मच्छरदानी को साफ प्लास्टिक शीट पर कम से कम मोड़कर सुखाईये। उसके तुरन्त बाद उसे पलट दें, ताकि कीटनाशी उसके प्रत्येक भाग में समान रूप से जमा हो जाए।
- सूखाने की प्रक्रिया हमेशा छाया में करनी चाहिए, क्योंकि धूप में दवा अपना असर खो देती है।

- कुछ समय बाद आधी सूखी हुई मच्छरदानी को छाया में लटकाया जा सकता है, ताकि वह पूर्ण रूप से सूख जाए।
- मच्छरदानी के सूखने का समय, मच्छरदानी का कपड़ा, कीटनाशी सोखने की क्षमता एवं मच्छरदानी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।

(छ) मच्छरदानी को कीटनाशकयुक्त करने के दौरान क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

- मच्छरदानी को कीटनाशकयुक्त करने के बाद, हाथ और मुंह को अच्छी तरह पानी और साबुन से धोना चाहिए।
- इस्तेमाल किये गये बर्तन को साफ करना चाहिए, लेकिन कभी भी नदी या तालाब में साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि कीटनाशक जहरीला होता है।
- कीटनाशक का खाली पैकेट और नष्ट कर देना चाहिए।

(ज) बचे हुए कीटनाशी को कैसे और कहां निस्तारित करें।

- सामान्यतः मच्छरदानी को कीटनाशकयुक्त करने के बाद कीटनाशी शेष नहीं बचता है, चूंकि मच्छरदानी के सोखने के क्षमता के अनुसार कीटनाशी का घोल तैयार करते हैं, किंतु बड़ी मात्रा में मच्छरदानी को कीटनाशी युक्त करने में कीटनाशी का घोल अधिक मात्रा में बनाया जाता है, इसलिए थोड़े मात्रा में घोल उपचार के बाद शेष रह जाता है।
- बचे हुए घोल को कभी भी यूंही जहां-तहां नहीं फेंकना चाहिए। इसको न तो पीने के पानी के नजदीक निस्तारित करना चाहिए न ही प्राकृतिक जल के स्रोत के नजदीक क्योंकि कीटनाशी जहरीला होता है और पीने वाले पानी को दूषित करता है।
- बचे हुए घोल को सेप्टिक टैंक या प्रदूषित और स्थिर जल वाले नाली में मच्छर के लार्वा को मारने के लिए डालते हैं।
- कीटनाशी युक्त मच्छरदानी को नदी, नहर या तालाब में नहीं धोना चाहिए ताकि इन जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।

(ठ) कौन सी अन्य सावधानियां बरतनी चाहिए ?

- कीटनाशक को बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए।
- त्वचा पर दवा के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उपचार के दौरान रबड़ का दस्ताना पहनना चाहिए।
- ध्यान रहे कि उपचार के दौरान कीटनाशी त्वचा या आँख में छलक कर न पड़े।

1.8 याद रखें :

- जब मच्छर न दिखे तब भी पूरे वर्ष, प्रत्येक रात में कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें।
- प्रत्येक व्यक्ति को दवायुक्त मच्छरदानी के अन्दर सोना चाहिए या कम से कम गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कीटनाशकयुक्त मच्छरदानी के अन्दर सोना चाहिए।
- मच्छरदानी में प्रयोग किया गया कीटनाशक व्यक्ति के लिए नुकसान देह नहीं होता है, यदि सही तरीके से प्रयोग किया जाए।
- कीटनाशक से भीगा हुआ मच्छरदानी यदि हाथ पैर में स्पर्श करता है तो चुनचुनाहट हो सकता है, लेकिन यह हानिकारक नहीं। यहां तक कि छोटे बच्चे को भी कोई हानि नहीं होती है।
- कीटनाशक से संसेचित मच्छरदानी में कीटनाशक दवा का असर छः माह तक रहता है। अतः इसे बार-बार नहीं धोना चाहिए और न ही इसे धूप में सुखाना चाहिए।

अपने मच्छरदानी को प्रत्येक छः माह पर कीटनाशी से संसेचित करायें या उसे अच्छी तरह साफ करने के बाद भी कीटनाशी से संसेचित कराया जा सकता है।

2. जिले द्वारा आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन. की आवश्यक संख्या विकास खण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रदाय की जावे। साथ ही संबंधित उप स्वास्थ्य केन्द्रों को खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दी जाये।
3. खण्ड विस्तार प्रशिक्षक खण्ड चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन. की प्राप्ति, भण्डारण व वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे/होगी

तथा वे इस हेतु आई.ई.सी. एवं बी.सी.सी. गतिविधि की निगरानी भी करेंगे/करेंगी।

4. एल.एल.आई.एन. का वितरण ग्राम स्तर पर जी.के.एस. ग्राम कल्याण समिति/ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति एवं बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता पुरुष एवं महिला की निगरानी एवं मॉनिटरिंग के तहत किया जावेगा।
5. बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष) बहुउद्देश्यीय सुपरवाइजर महिला एवं पुरुष एवं एम.टी.एस. के मार्गदर्शन एवं निगरानी में तीन दिन पहले एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को संवेदनशील कर ग्राम को तीन दिन पूर्व मच्छरदानी वितरण की तारीख के बारे में सूचना दी जावेगी।
6. वितरण के दिन के पूर्व संबंधित ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, परिवार के सदस्यों और गर्भवती महिलाओं (श्वनेम ीवसक ूपमि) को बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता/आशा द्वारा सूचित किया जावेगा तत्पश्चात् बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता तदनुसार आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन. संबंधित ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को दिया जावेगा। (संबंधित बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता/आशा दी जानी वाली संख्या परिवार की सूची के साथ तैयार करेगा।)
7. एल.एल.आई.एन. का वितरण उचित रूप से एक रजिस्टर में रिकार्ड किया जावेगा। (वितरण प्रपत्र में परिशिष्ट-2 अनुसार किया जावेगा।) रजिस्टर का संधारण बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जिम्मेदारी दी जावेगी।
8. एल.एल.आई.एन. पैक ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के समक्ष खोला जाना चाहिए। यह समिति एल.एल.आई.एन. प्राप्ति की संख्या को प्रमाणित करेगी।
9. वितरण के दिन समुदाय को एम.पी.डब्ल्यू., (बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता) बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष) बहुउद्देश्यीय सुपरवाइजर महिला एवं पुरुष एवं एम.टी.एस./आशा द्वारा ग्रामीणों को मच्छरदानी के प्रयोग का उचित तरीका बताया जाएगा। साथ ही यह समझाइष भी दी जायेगी कि मच्छरदानी को कटने, फटने, जलने से कैसे बचाया गया। यदि मच्छरदानी स्थानीय स्तर पर दवायुक्त की गई है, तो उन्हें छः माह तक धोया नहीं जाये। उन्हें धूप में नहीं रखा जाए।

10. इस उन्मुखीकरण बैठक में निम्नलिखित सूचनाओं एवं संदेशों को बताया जावेगा।
- एल.एल.आई.एन./आई.टी.एन. मच्छरदानी उपयोग के लिए सुरक्षित है।
 - सादे मच्छरदानी की तुलना में आई.टी.एन./एल.एल.आई.एन. के फायदे बताये जावेंगे।
 - गर्भवती महिलाओं, बच्चे मलेरिया के प्रति अधिक संवेदनशील है, इन्हें मच्छरदानियों के उपयोग से संरक्षित किया जावे। दवायुक्त मच्छरदानी नियमित रूप से जनसमुदाय द्वारा उपयोग की जाना चाहिए। इसके लिए समय-समय पर पर्यवेक्षकों द्वारा षाम के समय घरों में भ्रमण करके उपयोग की जा रही मच्छरदानी के प्रतिष्ठत का आंकलन किया जाये।
 - जिस समय लोग जंगल/क्षेत्र अथवा अन्य अस्थाई स्थानों पर रात्रि विश्राम करते है, तो मच्छरदानी अपने साथ रखें एवं सोते समय मच्छरदानी अवष्य लगावें।
 - जब एल.एल.आई.एन. मच्छरदानी गंदी हो जावे, तो इसे 20 से 25 बार हल्के से धोया जा सकता है। (मच्छरदानी को धोते समय ज्यादा न रगड़ा जावे)
 - एल.एल.आई.एन. मंहगा होता है, इसे इस्तेमाल न करते समय अर्थात् दिन में संभालकर अच्छे से रखा जावे।
11. मच्छरदानी वितरण एवं इसके उपयोग की निगरानी करते समय ग्राम कोड संख्या, सरल क्रमांक (जैसा कि रजिस्टर में दर्ज है।) निर्माणकर्ता के टेग के पास स्थायी मार्कर पेन से अंकित किया जावे, जिससे मच्छरदानी बाद में पहचानी जा सके।
12. हितग्राही (घर का एक सदस्य) जो मच्छरदानी प्राप्त करेगा वे वितरण रजिस्टर में पावती (अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर) दिनांक सहित देगा। यह रजिस्टर स्वास्थ्य कार्यकता द्वारा संधारित किया जावेगा। इसकी एक प्रति जिला मलेरिया कार्यालय में रहेगी।
13. जिला मलेरिया अधिकारी प्रतिनिधि द्वारा परिवार राषनकार्ड के प्रथम पृष्ठ पर सील लगाकर प्रदाय की गई मच्छरदानी की संख्या एवं वितरण तिथि अंकित कर हस्ताक्षर किये जावेंगे। सील का प्रारूप इस प्रकार है :-

एन.व्ही.बी.डी.सी.पी. जिला
प्रदाय की गई मच्छरदानी की संख्या....
मच्छरदानी वितरण का दिनांक

हस्ताक्षर वितरणकर्ता

- a. वितरण पूर्ण होने के पश्चात् वितरण रजिस्टर एम.पी.डब्ल्यू, (बहुउद्देशीय कार्यकर्ता), बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष) द्वारा सत्यापित किया जावेगा।
 - b. एल.एल.आई.एन. की ग्रामवार रिपोर्ट आशा के द्वारा प्राप्त की जावेगी। वितरण की मासिक रिपोर्ट खण्ड चिकित्सा अधिकारी या संबंधित एम.पी.एच. डब्ल्यू के द्वारा भेजी जावेगी।
 - c. खण्ड चिकित्सा अधिकारी आवश्यक रजिस्ट्रों की संख्या स्थायी मार्कर पेन/स्याही पेड लेने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र पर दिए गए अनटाईड फण्ड का उपयोग किया जा सकता है।
 - d. (यदि आवश्यक) हो तो, उप स्वास्थ्य केन्द्र से ग्राम स्तर तक एल.एल.आई.एन. की परिवहन लागत हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र के अनटाईड फण्ड का उपयोग किया जा सकता है।
 - e. यदि उप स्वास्थ्य केन्द्र पर अनटाईड फण्ड उपलब्ध न हो, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दिये गये अनटाईड फण्ड से इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।
14. एम.पी.डब्ल्यू, (बहुउद्देशीय कार्यकर्ता), बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष) जो उस ग्राम में निवास करती है, को भी एल.एल.आई.एन. प्राप्त करना चाहिए। वे स्वयं भी एल.एल.आई.एन. का उपयोग करेंगे। ये ग्रामीणों को एल.एल.आई.एन. के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने में बेहतर रोलमॉडल होंगे।

15. इस क्षेत्र में :-

आदिवासी आवासी छात्रावास विद्यालयों को सिंगल साईज की एल.एल.आई.एन. दी जाना चाहिए छात्रों द्वारा विद्यालय को छोड़ने एवं अवकाश में जाने पर अपने साथ ले जाना चाहिए।

a. इन प्रदाय की एल.एल.आई.एन. का संरक्षण शिक्षक करेंगे।

एल.एल.आई.एन. प्रदान की तालिका

स्थान	भण्डारण का स्थान	नोडल अधिकारी / कर्मचारी
राज्य	राज्य भण्डारगृह	राज्य कार्यक्रम अधिकारी एन.व्ही.बी.डी.सी.पी.
जिला	जिला भण्डारगृह	जिला मलेरिया अधिकारी/सहायक जिला मलेरिया अधिकारी, नोडल मलेरिया अधिकारी, व्ही.बी.डी. सलाहकार (विश्व बैंक जिला)
ब्लाक'	ब्लाक पी.एच.सी./सी.एच.सी. (यदि आवश्यकता हो तो किराये का स्थान)	मेडीकल ऑफिसर/खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एस./एन.आर.एच.एम. खण्डविस्तार प्रशिक्षण, बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष) एम.टी.एस.
उप केन्द्र'	उप स्वास्थ्य केन्द्र/ उपयुक्त शासकीय भवन/(यदि आवश्यकता हो तो किराये का स्थान)	बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष), एम.टी.एस.
ग्राम स्तर		एम.पी.डब्ल्यू, (बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता), बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष)

' यदि ब्लाक/उप केन्द्र में कम समय के लिए एल.एल.आई.एन. के भण्डारण के लिए स्थान उपलब्ध न हो, तो अनटाईड फण्ड का उपयोग किया जा सकता है।

परिवार द्वारा स्वैच्छिक अंशदान राशि दिया जाना है:-

दवायुक्त मच्छरदानी में परिवारों का स्वैच्छिक अंशदान जमीनी स्तर पर समुदाय के व्यवहार परिवर्तन, अपनेपन के प्रतीक के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार का अंशदान गर्भवती महिलाओं एवं आवासी छान्नावासों में न लिया जावे।

- व्ही.एच.एस.सी./आशा हितग्राहियों से सूक्ष्म स्वैच्छिक अंशदान लिया जा सकता है।
- व्ही.एच.एस.सी./आशा के द्वारा परिवारों के सामाजिक आर्थिक स्तर के आधार पर निशुल्क एल.एल.आई.एन. का वितरण किया जा सकता है।
- **अगर कोई परिवार अंशदान देने में सक्षम नहीं है, तो उसे एल.एल.आई.एन. के लाभ से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए।**

(सुझाव : व्ही.एच.एस.सी./आशा निर्धनता रेखा से नीचे एवं ऊपर परिवारों से पृथक-पृथक राशि ली जा सकती है। उदाहरण :- निर्धनता रेखा से नीचे रू. 5-10 प्रति मच्छरदानी एवं निर्धनता रेखा से उपर रू. 15-30 प्रति मच्छरदानी)

- ग्राम/उपग्राम/मजेरे/पारे/टोले के सामाजिक आर्थिक स्तर को विचार करते हुए या समान राशि स्थानीय स्थिति के अनुसार ली जाना चाहिए।
- प्राप्त राशि स्वैच्छिक अंशदान से प्राप्त राशि को एक रजिस्टर में दर्ज की जाना चाहिए। (परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रपत्र अनुसार)

योगदान से प्राप्त राशि का उपयोग:-

- यह अनुदान जिला स्वास्थ्य समिति व्ही.बी.डी.सी.पी. के खाते में जमा की जाना चाहिए। इसका खर्चा पत्रक जिला स्वास्थ्य समिति व्ही.बी.डी.सी.पी. के खाते में पृथक से रखा जाना चाहिए।
- इस फण्ड का उपयोग ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा मलेरिया एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम में निम्नानुसार किया जाना चाहिए:-
 - मच्छर जनित स्रोतों के समाप्ति के लिए विशेष अभियान चलाने के रूप में।
 - एल.एल.आई.एन. के फट/नष्ट हो जाने पर (यदि ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रमाणिकरण के बाद सादी मच्छरदानी को एस.पी. फलो से दवायुक्त किये जाने हेतु)
 - संगृहित/इकट्ठे किये योगदान के बारे किसी भी भ्रमित या गलत जानकारी से बचने के लिए यहां यह महत्वपूर्ण है, कि यह संदेश जनसमुदाय/ग्रामवासियों एवं अन्य हिस्सेदारों को उचित रूप से संचारित होना चाहिए। **प्रत्येक को यह ज्ञात होना चाहिए कि यह योगदान एल.एल.आई.एन. विक्रय के लिए नहीं लिया जा रहा है।**
 - एल.एल.आई.एन. वितरण की जानकारी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के समक्ष रखकर जनसमुदाय को बताना चाहिए। यह प्रक्रिया समुदाय निगरानी में मदद करती है।

अतिसंवेदनशील समूह को पहले प्राथमिकता:-(पहले आप योजना)

1. जिलेवार अतिसंवेदनशील समूह को ध्यान में रखते हुए जिसमें क्रमशः गर्भवती महिलायें एवं 5 वर्ष से कम के शिशु एवं आवासी आदिवासी छात्रावास/विद्यालय को एल.एल.आई.एन. वितरण के प्रथम चरण में सम्मिलित किया जा सकता है।

अतिसंवेदनशील समूह को पहले प्राथमिकता:-(पहले आप योजना)

➤ गर्भवती महिलाओं के लिए :-

1. जहां पूर्ण जनसंख्या एल.एल.आई.एन. के द्वारा संरक्षित वहां एकत्रित परिवार को एक अतिरिक्त एल.एल.आई.एन. दी जा सकती है, जिसका उपयोग सिर्फ गर्भवती महिला के द्वारा किया जावेगा।
2. प्रथम ए.एन.सी. दौरे के समय सभी गर्भवती महिलाओं को एल.एल.आई.एन. का निशुल्क वितरण किया जाना चाहिए। इसके पश्चात् छूटी हुई गर्भवती महिलाओं को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में आशा/आंगनवाड़ी कर्मचारी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के वर्कर की उपस्थिति में एल.एल.आई.एन. मच्छरदानी प्रदाय की जावेगी।
3. आवश्यक एल.एल.आई.एन. की संख्या उप स्वास्थ्य केन्द्र पर बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पु./म. के संरक्षण में रखी जावेगी।
4. गर्भवती महिलाओं को प्रदाय की गई एल.एल.आई.एन. का रिकार्ड बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पु./म. के द्वारा रखा जावेगा, जिसकी जानकारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी को मासिक रूप से भेजी जावेगी।
5. बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पु./म. एवं एम.टी.एस. की जवाबदारी होगी कि वे निरन्तर सुपरविजन कर यह सुनिश्चित करें, कि उनके क्षेत्र में कोई भी गर्भवती महिला एल.एल.आई.एन. के बिना न सोयें। वे यह भी सुनिश्चित करें, कि गर्भवती महिलायें उसका नियमित उपयोग करें।
6. इस हेतु विशेष आई.ई.सी./बी.सी.सी. सामाजिक गतिविधियां की जावे, जिससे जज्बा एवं बच्चा इस एल.एल.आई.एन. के अंदर सोयें।

2. अतिसंवेदनशील समूह को पहले प्राथमिकता:-(पहले आप योजना) आवासी छात्रावासों के लिए :-

1. ऐसे विद्यालय जिन्हें पिछले दो वर्षों में आई.टी.एन. प्रदाय की गई थी, उनको कुछ समय के लिए रोका जावे। इस प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों एवं वरिष्ठ छात्रों के द्वारा मच्छरदानी को एस.पी. फ्लो द्वारा दवायुक्त कर किया जावे।
2. एस.पी. फ्लो जिला मलेरिया अधिकारी/सहा. मलेरिया अधिकारी के द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
3. छात्रावास के शिक्षक, छात्रावास में एल.एल.आई.एन. के वितरण एवं उपयोग कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।
4. संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका खण्ड चिकित्सा अधिकारी को तीन माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी को प्रदाय की गई एल.एल.आई.एन. एवं उसके उपयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
5. छात्रों के द्वारा उपयोग की जा रही एल.एल.आई.एन. का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला एवं पुरुष), एम.टी.एस. द्वारा किया जावेगा।
7. शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से विशेष उन्मुखीकरण एवं संवेदीकरण गतिविधि आयोजित की जावेगी। (आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जिला मलेरिया अधिकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से संबंधित विद्यालयों में एल.एल.आई.एन. वितरण व उपयोग की जानकारी देवें। एम.पी.डब्ल्यू/आशा को निर्देशित करेंगे।)

एल.एल.आई.एन. वितरण के लिए वित्तीय दिशा-निर्देश

1. प्राचलन तंत्र जिसमें परिवहन लागत शामिल है।
 - a. जिला एवं खण्ड स्तर पर वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत दिये गये कार्यालय व्यय, परिवहन में व्यय, अंतर्गत मद एन.आर.एच.एम. अंतर्गत ऑपरेशनल कॉस्ट मद से।
 - b. उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर एवं सेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दिए गए अनटाईड फण्ड।

- c. संवेदीकरण/प्रशिक्षण हेतु विश्व बैंक साहयतित जिलों में ए.एन.एम. एम.पी. डब्ल्यू. मद से खण्ड एवं जिला स्तर पर अनटाईड फण्ड रोगी कल्याण समिति एवं ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को दिए गए अनटाईड फण्ड।
- d. समुदाय स्तर पर अन्य हिस्सेदारों का उन्मुखीकरण करने हेतु ;जिसमें क्रमशः स्वयं सेवी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, धर्म आधारित संगठन, महिला मण्डल, ग्राम आधारित स्वयं सहायता समूहों आदि।द्व जिलों को दिये गये आर.सी.एच., एन.आर.एच.एम. आई.ई.सी. एवं बी.सी.सी. मद से एकीकृत कर किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

जिला..... विकास खण्ड उप स्वास्थ्य केन्द्र

क्र.	उप केन्द्र का नाम	जनसंख्या	गर्भवती महिलाओं की संख्या	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या	ए.पी.आई.				आई.टी.एन.	आई.आर.एस.	
					≥ 5 (हां/ नहीं)	2.ढ5 उपस्वास्थ्य केन्द्र ≥ 5 (हां/ नहीं)	2.ढ5 मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में कम सर्वेलेस (हां/ नहीं)	विगत 3 वर्ष में 2 से कम मलेरिया से मृत्यु (हां/ नहीं)	विगत 3 वर्ष में कवरेज 60 प्रतिशत से कम (हां/ नहीं)	कठिन क्षेत्र (हां/ नहीं)	कम स्वीकार्य संरक्षित क्षेत्र (हां/ नहीं)
कुल योग											

परिशिष्ट-2

एल.एल.आई.एन./आई.टी.एन. वितरण रजिस्टर फारमेट

जिला..... विकास खण्ड उप स्वास्थ्य केन्द्र

ग्राम वितरण दिनांक

क्र.	परिवार के मुखिया का नाम	परिवार के सदस्यों की संख्या	गर्भवती महिलाओं की संख्या	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	परिवार के मुखिया को प्रदाय एल.एल.आई.एन./आई.टी.एन. की संख्या	अंशदान से प्राप्त राशि	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
कुल योग									

मलेरिया के लक्षण

1. बहुत ठण्ड लगती है। (चित्र क्र.-1)



2. त्वचा ठण्डी पड़ जाती है।

3. जी मिचलाता है, उल्टी होती है। (चित्र क्र.-2)



4. सिर दर्द होता है, जो धीरे-धीरे तेज हो जाता है। (चित्र क्र.-3)



5. बुखार तेजी से चढ़कर 102 डिग्री से 106 डिग्री फेरनहाईट तक पहुंच जाता है। मरीज कोमा (बेहोशी) में भी जा सकता है। (चित्र क्र.-4)



6. पसीना आकर बुखार उतर जाता है। (चित्र क्र.-5)

